

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.— 8/ज.सं.(नि.)राँची-27/2007:—

/राँची, दिनांक:—

आदेश

श्री अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय संकल्प 703 दिनांक-24.02.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिंह के दिनांक-31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 बी. में सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह0/—

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:— 4121

/राँची, दिनांक:— 4-8-15

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता-सह-संचालन पदाधिकारी, लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, राँची / संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / श्री अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सेवानिवृत्त), ग्राम + पो०- रहीमपुर (पचखुट्टी) थाना + जिला- खगड़िया (बिहार) / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Yicoo
04/08/2015

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

Yicoo
04.8.15